

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एनक डिप्लोमिया व्यवसायिक केवल हाउस डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

व्यवसायिक  
राष्ट्र डिजाइन  
अनुसार

आवेदन क्रमांक 720 दिनांक 16/09/2020

प्राथीगण निरीन अरोड़ा एवं श्रीमती भावना अरोड़ा  
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009  
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.No: 69 (व्यव) सरस्वती  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नगर डिस्ट्रिक्ट शोपिंग सेंटर  
कर स्वनिर्धारण राशि रूपये 7001/- जमा  
जरिये रसीद संख्या 9869/5793, 5794  
दिनांक 16/09/2020 को जमा करा दी है ।

17/9/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

17/9/2020  
8112249789